CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्यः स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 राजस्थान

डॉ. सन्दीप कुमार सुण्डा
सहायक आचार्य
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी
विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
Email : sandeepsunda123@gmail.com

First draft received: 12.07.2023, Reviewed: 22.07.2023, Accepted: 09.08.2023, Final proof received: 15.08.2023

Abstract

''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, मनुष्यता का पहला नियम है।'' –महात्मा गाँधी 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। 2023 यानी इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम "Heath for All" अथवा ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' रखी गयी है। यह थीम इस सोच को उजाकर करती है कि स्वास्थ्य सभी मनुष्यों का बुनियादी अधिकार है और प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी वित्तीय कठिनाइयों के जब और जहाँ इसकी आवश्यकता हो सभी को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। सेवा भाव के दृष्टिकोण से समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक ढ़ेरो कल्याणकारी योजनाएँ बनी है और उनके फायदे व नुकसान नागरिक समाजों ने अनुभव किए है। देश को आजाद हुए आज 76 वर्ष गुजर गए है और देश स्तर पर लोगों के जीवन स्तरों में आये आमूलचूल परिवर्तनों या धुआँ–धार विकास का अमृत महोत्सव मना रहे है। अफसोस! आजादी के इतने वर्षों बाद तथा इतनी सारी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और अस्वस्थता अपने पैर जमाएँ नींव की तरह खड़ी है। तब यह अवलोकन निरर्थक नहीं हो सकता है कि आजादी से अब तक के सतत् विकास में धुआं अधिक और धार बहुत कम रहा है। इसी बीच भारत के राजस्थान राज्य द्वारा 21 मार्च 2023 को 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' के रूप में प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ अनिवार्य रूप से पाने का हक और अधिकार देने की कवायद की गयी है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार द्वारा यह उत्तरदायित्व तय किया जाता है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव ना रहें और ना कष्ट पाए। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इलाज के खर्च से चिंतामुक्त हो और उसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो। इसी आधार पर यह सभी नागरिकों के गौरव का विषय भी है कि ऐसा कदम उठाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के सभी दावों और उद्देश्यों के साथ 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' विधेयक विधानसभा से 21 मार्च 2023 के दिन पारित किया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 विषय से संबंधित समस्या को इस शोध पत्र में शामिल किया गया है। इस समस्या से संबंधित तथ्यों को संकलित करने हेतु अर्न्तवस्तु विशलेषण विधि व प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। साथ ही संकलित तथ्यों के आधार पर शोध अवलोकन व विशलेषण, विषय का महत्व, चुनौतियाँ और समाधान की सम्भावनाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है।

Keywords: मानवाधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, संवैधानिक प्रावधान, कानून, विधेयक, योजनाएँ आदि.

स्वास्थ्य का अधिकार परिचय

विश्वस्तरीय मंच के दृष्टिकोण से हम भारत को दूसरे अन्य देशों में स्टेटस ऑफ इण्डिया ही अधिकांशतः बुलाते है। जब दुनिया में जनता के शासन को स्वयं जनता द्वारा स्थापित किया जा रहा था उस दौर में फ्रांस की उस महत्वपूर्ण घटना को भूला देना शायद मनुष्य जगत के लिए न्यायोचित नहीं होगा, जिसने विश्व के सभी समाजों को स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे मूल्यों को अपने व्यवहारों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया। साथ ही यह कहना भी उचित होगा कि विश्वपटल पर सभी जीवन्त समाजों को नये मूल्यों से अवगत कराया गया। यदि इन मूल्यों को समाज के सभी तबकों में हम आज भी खोजने का प्रयास करें और कोई सार्थक विशेलेषण प्रस्तुत करना चाहे, बहुत जटिल प्रतीत होता है। बहरहाल भारत भी आजादी के पश्चात् एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। भारत में अपने संवैधानिक प्रावधानों में नागरिकों के कल्याण हेतु बेहद महत्वपूर्ण अधिकार जिसमें जीवन जीने, बोलने की आजादी, भोजन की उपलब्धता व सुरक्षा और मानवता के अधिकारों को समाज के समक्ष रखा। साथ ही भारत के नागरिकों या समाज ने उसी हौसलें के साथ इन्हें स्वीकृति भी प्रदान की। परन्तु इन सभी के अलावा भी मनुष्यों के जीवन स्तर और प्रतिदिन के जीवन के साथ जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण हक तथा अधिकार जो सम्पूर्ण कायनात को मिलने चाहिए थे, वंचित रह जाते है। उनमें महत्वूर्ण पहला हक एवं अधिकार तो सन् 2005 में 'सूचना का अधिकार' के रूप में स्वयं जनता द्वारा हासिल किया गया। दूसरा एक और कदम सन् 2009 में 'शिक्षा का अधिकार' के रूप में हासिल किया। तीसरा जो जीवन यापन के लिए एक तरह से सभी मनुष्यों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है और शारीरिक रूप से जिन्दा रहने का हक प्रदान करता है। सन् 2013 में 'भोजन का अधिकार' तो नहीं कह सकते है लेकिन उससे कम भी नहीं जो 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' के तहत उस वक्त भारत के लगभग दो–तिहाई नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का हकदार बनाता है। चौथा स्वास्थ्य का हक एवं अधिकार जो भी इन सभी अधिकारों के साथ–साथ बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश भारत में 21 मार्च 2023 के दिन केवल राजस्थान राज्य द्वारा 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' कानून समत नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हालांकि इन सभी चारों महत्वपूर्ण हक एवं अधिकारों को लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा आजादी के बाद एक दशक के भीतर–भीतर नागरिकों के कल्याण में सुपुर्द कर देना चाहिए था। यह पूर्णतः आलोचना का विषय हो सकता है लेकिन देरेसवेर भारत व राज्यों की कानून निर्माता संस्थाओं ने आखिरकार नागररिकों की आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए उनके हक एवं अधिकरों को कानून समत करने का प्रयास किया गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि स्वास्थ्य का अधिकार कानून को छोड़कर अन्य तीनों कानूनों का विशलेषण किया जाये तो बिना किसी प्रतिरोध के भारतीय नागरिकों द्वारा स्वागत के साथ इन्हें अपनाया गया और परिस्थिति समयानुसार संशोधन भी किये गये। यदि हम 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' की चर्चा करें तो यह पाते है कि राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों में से एक विशेष तबका जो व्यवसाय से डॉक्टर है साथ ही पहले वह भारत का नागरिक भी, जिसके द्वारा इस विधेयक का प्रतिरोध किया जा रहा है। खेर! प्रतिरोध करना भारत के ही नहीं विश्व के सभी नागरिकों का हक एवं अधिकार है और अनिवार्य रूप से होना भी चाहिए। मेरी जहां तक एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी और एक एक जागरूक नागरिक होने के नाते समझ है उसके अनुरूप लोकतंत्र की मजबूती आलोचनाओं तथा प्रतिरोधों से ही संभव हो पाती है। प्रतिरोध के कुछ दिनों के बाद ही डॉक्टरर्स नागरिक दो धड़ो में बंट जाते है। एक धड़ा वह जो प्रतिरोध के मार्फत विधेयक में संशोधन चाहता है, दूसरा धड़ा वह जो विधेयक वापस लेने के लिए आन्दोलन शुरू कर देता है। स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 के संबंध में असल बहस यहीं से प्रारम्भ होती है। मुझे लगता है कि भारत सहित राजस्थान के सभी नागरिक यह तो बखूबी समझ रहे है कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' सम्पूर्ण भारत के नागरिकों हेतु होना कितना आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? किन नागरिकों को इस कानून से फायदा मिलेगा? डॉक्टर्स बिल वापिस करवाने के क्या कारण है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए स्वास्थ्य के अधिकार की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है।

स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 की पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 सर्वप्रथम भारत के राजस्थान राज्य द्वारा अपनी विधानसभा से 21 मार्च 2023 को पारित किया गया। स्वास्थ्य के अधिकार की शुरूआत वर्ष 1946 में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा सर्वप्रथम विश्व स्तर पर की गयी थी। इस संगठन द्वारा स्वास्थ्य शर्तों को मानवाधिकारों के रूप में विश्व समाज के समक्ष रखा गया। 'स्वास्थ्य का अधिकार' मनुष्य जीवन का अनिवार्य घटक है और यह सुनिश्चिता करना लोक कल्याणकारी राज्यों की सत्ता एवं सराकारों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। चाहे सभी मनुष्य लिंग, जाति, धर्म, वर्ग और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित, दलित, अल्पसंख्यक भी क्यों ना हो, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ समान रूप से सुलभ होना आवश्यक है तथा अनिवार्य होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) द्वारा भी सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा, 1948 में अनुच्छेद–25 के मार्फत सभी वैश्विक नागरिकों को भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा देखभाल या स्वास्थ्य देखरेख का अधिकार सुनिश्चित किया गया था। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत भी संविधान के भाग–IV द्वारा अपने नागरिकों हेतु सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित की गयी है। इसलिए संविधान का भाग–IV सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक अधिकार प्रदान करता है। नीति निदेशक तत्वों के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47 ने स्वास्थ्य अधिकारों को सभी नागरिकों हेतु प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हुए राज्यों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करते है। भारत के संविधान का अनुच्छेद–21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वंतत्रता रूपी मौलिक अधिकार के साथ स्वास्थ्य की गारन्टी देता है। इसके साथ–साथ भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, जो समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते है। **पहला** परमादनन्द कटारा बनाम भारत संघ, 1989 के अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक डॉक्टर सरकारी, निजी और सेवार्थ सभी किसी भी परिस्थिति में मरीज को स्वास्थ्य सेवा देने से इन्कार नहीं कर सकेंगे। **दूसरा** पश्चिमी बंगाल खेत मजदूर समिति, 1996 केस के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य में सत्ता और सरकार की भूमिका सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक तथा प्रतिबद्ध होनी चाहिए। **तीसरा** पंजाब राज्य बनाम मोहिन्दर सिंह चावला, 1996 केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के अधिकार के साथ–साथ स्वास्थ्य का अधिकार एवं हक भी नागरिकों के लिए प्राथमिक तथा आवश्यक करता है। यह सभी प्रावधान वैश्विक और स्थानीय स्तर पर नागरिकों को 'स्वास्थ्य का अधिकार' हासिल करने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबद्ध और हक देते है।

आर.टी.एच., 2022 विधेयक से पूर्व में तत्कालीन राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं का तथ्यों के अनुसार सफल क्रियान्वयन किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 को प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत सभी आवश्यक दवाईयों को नागरिकों हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाई और लगातार वर्तमान में भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, 2013 में प्रारम्भ की गयी जिसके तहत सभी अस्पतालों में निःशुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएँ उपलब्ध करवाई गयी और अभी भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 01 मई, 2021 को प्रारम्भ की गयी जिसमें बीमा राशि प्रति परिवार प्रति पॉलिसी वर्ष 5 लाख रू. से बढ़ाकर 10 लाख रूपये की गयी। अब बजट 2023–24 में यह बीमा राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 25 लाख रूपये कर दी है। इस योजना के तहत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 844 सरकारी एवं 899 निजी अस्पतालों के मार्फत 10 जनवरी, 2023 तक 31.58 लाख मरीजों को निःशुल्क ईलाज से लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही सभी अस्पतालों को 3624.65 करोड़ रूपये की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, 01 अप्रैल, 2022 को राज्य के सभी नागरिकों को ओपीडी, आईपीडी जैसी सभी सेवाएँ और दवा निदान सहित आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रारम्भ की गयी। इन सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप ही राज्य सरकार नागरिक हितों में 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' लेकर आयी है। 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' के प्रति विधानसभा में चर्चा के दौरान संबंधित तत्कालीन मंत्री द्वारा यह भी कहा गया है कि राज्य के बजट का 7 प्रतिशत खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया जा रहा है। राजस्थान राज्य द्वारा 'स्वास्थ्य का अधिकार' ड्रॉफ्ट सर्वप्रथम 22 सितम्बर, 2022 को राजस्थान की विधानसभा में पेश किया गया। तमाम डिस्कोर्सों के पश्चात् इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा विभाग मंत्री, राजस्थान श्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति को भेजा गया। अन्ततः राजस्थान की सरकार द्वारा 21 मार्च 2023 को 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' अपनी विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विधेयक सभी नागरिकों के हकों एवं अधिकारों की रक्षार्थ ऐतिहासिक फैसला है। इसके बाद 22 मार्च 2023 से डॉक्टर्स इस विधेयक में संशोधन हेतु प्रतिरोध प्रारम्भ करते है। सुझावों व संशोधनों को पुनः विधेयक में शामिल करने के लिए तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है और डॉक्टर्स के सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर भी डॉक्टर्स एक धड़ा जो ज्यादा निजी अस्पतालों से जुड़ा होता है वह देशव्यापी स्तर पर यह विधेयक सरकार द्वारा वापिस लिए जाने के लिए 27 मार्च 2023, को हड़ताल प्रारम्भ कर देता है।

निष्कर्षतः 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' राज्य के सम्पूर्ण नागरिकों को समान रूप से चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध और सुनिश्चित करवाने वाला अधिनियम है। इसलिए सभी नागरिकों में से एक विशेष नागरिक तबकें द्वारा प्रतिरोध व हड़ताल करके 'स्वास्थ्य का अधिकार' अपने ही नागरिकों से छीनकर सरकार द्वारा वापिस करवाना कानून का उल्लंघन मात्र है।

स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 के प्रावधान और महत्वः

राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को पारित करके लागू करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है–

- राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए मना नहीं किया जाए।
- अधिनियम के तहत आपातकालीन परिस्थितिवश इलाज का खर्च संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान रखा गया है।
- विधेयक के तहत राज्य सरकार स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा।
- समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
- बड़े अस्पतालों को राज्य सराकार द्वारा रियायती दर पर जमीनें और बैंक लॉन उपलब्ध करवाए गये है। इन सभी अस्पतालों को आर.टी. एच. के अन्तर्गत जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
- यदि कोई भी नागरिक दुर्घटना, जानवरों के काटने, गर्भावस्था सहित अन्य आपातकालीन स्थिति मे सभी अस्पतालों को पहले बिना रूपये–पैसे जमा करवाकर भी आपात इलाज करवाने का प्रावधान रखा गया है।
- संसाधनों के अभाव में यदि सरकारी अस्पताल इलाज करने में सक्षम नहीं है तब इस स्थिति में भी निजी अस्पतालों मे मरीज का इलाज करना अनिवार्य होगा।
- दवा खरीदने और मेडिकल डाइग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सेंटर चुनने का अधिकार भी मरीज को होगा।
- सभी अस्पतालों को बड़े अस्पतालों के लिए मुफ्त रेफरल ट्रान्सपोर्ट देने का प्रावधान रखा गया है।
- आर.टी.एच., 2022 कानून का उल्लंघन करने पर पहले स्तर पर डॉक्टर्स व अस्पताल के लिए 10 हजार रूपये जुर्माना व दूसरे स्तर पर 25 हजार रूपये का जुर्माना देय होगा।

राज्य के प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार होंगे जिनका प्रत्येक नागरिक के जीवन में अहम् महत्व होगा–

- रोग की प्रकृति, कारण, प्रस्तावित जांच और रोगी की देखभाल संबंधि सम्पूर्ण जानकारी होगी।
- उपचार के प्रत्याशित परिणामों, संभावित जटिलता और खर्चों की भी जानकारी होगी।
- ओपीडी व आईपीडी सेवाओं, चिकित्सा परामर्श, दवा, रोग के निदान, आपात परिवहन और बिना पूर्व भुगतान के उपलब्धता।
- कानूनी मामलों में पुलिस की अनापत्ति या एफ.आई.आर. रिपोर्ट के इन्तजार में उपचार में विलम्ब नहीं होगा।
- रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, उपचार खर्च के विस्तृत बिल, देखभाल, उपचार करने वाले डॉक्टर्स के नाम और जॉब चार्ट की पूर्व सम्पूर्ण जानकारी होगी।
- इलाज और देखभाल के दौरान मरीज की गोपनीयता, एकातंता तथा मानविय गरीमा का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
- स्वास्थ्य जांच, इलाज की दरों की सूचना और इलाज के लिए विकल्प की उपलब्धता होगी।
- इलाज के दौरान तथा उसके बाद किसी शिकायत की सुनवाई और उसका व्यवस्थित निवारण किया जायेगा।

आदि–आदि प्रावधानों और अधिकारों के साथ राज्य के सभी नागरिकों के समक्ष 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' को प्रस्तुत किया गया है।

शोध अध्ययन अवलोकन और विशलेषण

स्वास्थ्य सेवा अधिकार, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत सहित सम्पूर्ण विश्व के नागरिकों का अनिवार्य हक और अधिकार है। एक लोक कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायित्व भी सभी सरकारों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुँच, यह स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 का कानून सभी नागरिकों को स्वस्थ जीवन–यापन करने हेतु सक्षम बनाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवता सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है।

अतिरिक्त खर्च को कम करना, यदि आर.टी.एच., 2022 कानून के लम्बी समयावधि में जनहित के फायदे देखे तो पायेंगे की नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान करने के वित्तीय जोखिमों से निजात मिलेगी। साथ ही गरीबी और भूखमरी, लैगिंग भेदभावों के खतरों को भी कम किया जा सकेगा।

निष्कर्षतः उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन के आधार पर यह विशलेषण प्रस्तुत करना तार्किक और उचित है कि 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' कोई विशेष नागरिक तबकें के उत्थान हेतु नहीं होकर सम्पूर्ण मनुष्य मात्र के जनहित में प्रस्तुत किया गया है। यह कहना भी उचित होगा कि समाज के वंचित, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 की चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

प्रमुख चुनौतियाँ

स्वास्थ्य संसाधनों की अर्पाप्तता और बुनियादी ढाँचे में खामी, भारत का समाज प्रमुखतः नगरीय, ग्रामीण और आदिवासी समाजों के क्षेत्रों में विभाजित है कमोबेस यही स्थिति राजस्थान राज्य की भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.16 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.84 प्रतिशत निवासित है। एक रिपोर्ट के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक हेल्पकेयर अवसंरचना शहरों/नगरों में केन्द्रित है। अतः इस स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना कैसे सम्भव हो पायेगी? क्योंकि वर्तमाने भारत में प्रति 1,000 नागरिकों पर अस्पताल के बेडों की संख्या 1.4 ही है। 1,445 नागरिकों पर केवल 1 डॉक्टर है और 1,000 नागरिकों पर नर्सेज की संख्या 1.7 है। हालांकि राजस्थान राज्य की स्थिति कोरोना काल के बाद थोड़ी बहुत सुधरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है।

रोगों की बढ़ती संख्या और उपलब्ध सुविधाओं का अभाव, फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मरीजों की संख्या में से 33 प्रतिशत से भी अधिक नागरिक अभी भी संक्रामक रोगों से पीड़ित है। इन सभी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का क्या मॉडल है। इन संक्रामक रोगों पर प्रति नागरिक ओपीडी और आईपीडी रोगीयों की देखभाल हेतु क्रमशः 7.28 रूपये और 29.38 रूपये खर्च आता है। भारत और राजस्थान में तपेदिक, मलेरिया, मधुमेह, कैंसर, क्वासियोरकोर, मैरासमस, एच.आई.वी. सहित संक्रामक और गैर–संक्रामक रोगों की भरमार है। इन रोगों के उपचार हेतु स्वास्थ्य सेवा के संसाधनों और अवसंरचना पर बजट का निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 व लैंगिक असमानताएँ, भारत और राजस्थान अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर असमानता बरत रहा है। वह चाहे महिलाओं में खून की कमी, पूर्व लिंग परिक्षण, मातृ मृत्यु दर, महिला चाइल्ड मृत्यु दर हो समाज में इन सभी कानूनों के उल्लघंन शामिल है।

सीमित स्वास्थ्य बजट आंवटन, राजस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के दृष्टिकोण से भारत वर्ष में अवल स्थानों पर है लेकिन फिर भी राज्य बजट 2022–23 के अनुसार बजट का 7 प्रतिशत आंवटन ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी का केवल 2.1 प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च तय किया।

डॉक्टर्स में कार्य इच्छाशक्ति का अभाव, डॉक्टर्स का यह मानना है कि स्वास्थ्य का अधिकार, 2022 निजी अस्पतालों के लिए अनावश्यक खर्च बढ़ाने वाला है। निजी अस्पतालों के व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण पर नकारात्मक प्रभाव भी डालने वाला है।

डॉक्टर्स प्रतिरोध के कारण, राज्यभर में जो डॉक्टर्स इस विधेयक का प्रतिरोध, हड़ताल और आन्दोलन कर रहे हैं उनकी मांग है कि यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। क्योंकि यह विधेयक आपातकालीन सेवाओं को ठीक से परिभाषित नहीं करता है। साथ ही इलाज के दौरान लगने वाला खर्च यदि मरीज वहन नहीं कर पा रहा इस स्थिति में सरकार कैसे? कितने समय में? संबंधिति अस्पताल को खर्च दे पायेगी? स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रमुख सुझाव एवं सम्भावनाएँ

- स्वास्थ्य सेवा संबंधि बजट में वृद्धि करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह खर्च कुल जी.डी.पी. का 5 प्रतिशत से अधिक तथा भारत द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक तय होना चाहिए।
- स्वास्थ्य अवसंरचना व संसाधनों में अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए।
- डॉक्टर्स, कम्पाउडर और नर्सेज की संख्या में आमूलचूल वृद्धि की आवश्यकता को पुरा करना।
- सरकारी या सार्वजनिक अस्पतालों की मशीनरी व संख्या में अधिकाधिक वृद्धि करके समाधान किया जा सकता है।
- राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 90 प्रतिशत आपातकालीन मरीज स्वास्थ्य सेवा हेतु सरकारी अस्पतालों का उपयोग किए है। अतः सरकारी अस्पतालों द्वारा बेड, वार्ड संख्या और पर्याप्त संसाधनों में वृद्धि करके सभी को समान अवसरों के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकती है।
- राजस्थान राज्य द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित सभी स्वास्थ्य योजनाओं को 'स्वास्थ्य का अधिकार, 2022' में शामिल करके सभी अस्पतालों और डॉक्टर्स को विश्वास में लिया जा सकता है।
- डॉक्टर्स और अस्पतालों की सुरक्षा हेतु बने हुए कानूनों यथा राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा और संपति के नकुसान का निवारण) अधिनियम, 2008 तथा एसओपीज (SPOs) अधिनियम, 29 मई, 2022 के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए।
- समय पर वित्तीय भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल (Auto Approval) व्यवस्था प्रदान करके वित्तीय सुरक्षा दी जा सकती है।
- सड़क और परिवहन मंत्रालय के आंकड़े 2021 के अनुसार भारत के कुल 4,12,432 सड़क दुर्घटना हुई है जिनमें से 1,53,972 नागरिकों की जान गई और 3,84,448 नागरिक घायल हुये। ओपन सार्स पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में दुर्घटनाओं की संख्या लगभग 19,114 है। जिनमें से मरने वाले नागरिकों की संख्या 2,345 तथा घायल होने वाले नागरिकों की संख्या 16,769 है। इस संबंध में दुर्घटना स्थलों से समय रहते सूचना प्राप्ति हेतु आम नागरिकों को प्रोत्साहित करके और एम्बूलेंस गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करके, अतिशीघ्र इलाज उपलब्ध करवाया जा सकता है।
- निजी अस्पताल संस्थाओं के सी.एस.आर. (CSR) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंशब्लिटी फण्ड का स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित एवं प्रतिबद्ध करके जन कल्याण की दिशा में विशेषतः उपयोग लिया जा सकता है।
- राज्य केन्द्र से लेकर अंतिम पंक्ति तक 'संचालन समितियों' का निर्माण करके नागरिकों के समक्ष एक पारदर्शी विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था का निर्माण करके सरकार, डॉक्टर्स व आम नागरिकों को विश्वास में लिया जा सकता है।
- आज तक सभी योजनाएँ नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए ही बनी है उनका नुकसान करने के लिए नहीं। इसलिए कोई भी योजना उपयोगी कब होगी जब उसका योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वयन होगा। अतः क्रियान्वयन व निरन्तर संचालन हेतु एक 'रेग्यूलेटरी अथोरिटी बॉडी का निर्माण राज्य स्तर पर करके सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

- स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022 प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार, मार्च 2023।
- सुजस ६ बुलेटिन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, अंक 26, 28, 29 मार्च, 2023।
- जनगणना प्रतिवेदन, सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 2011।
- बजट प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार, सत्र 2023–24।
- मानवाधिकार प्रतिवेदन, यूएनओ, 1948।
- विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ, यू–ट्यूब चैनल्स, विडियो, 21–31 मार्च, 2023।
- www.dipr.rajasthan.gov.in
- www.jankalyan.rajasthan.gov.in